बेबी रानी मौर्य,
राज्यपाल एवं कुलाधिपति,
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
देहरादून।

सत्यमेव जयते

राजभवन
उत्तराखण्ड देहरादून

पत्र संख्या : —/जी0एस/शिक्षा C12-1 (II)/2017
देहरादून दिनांक 13 मार्च, 2020

: **आदेश** :

इस सचिवालय के आदेश संख्या : 2138/जी0एस0/शिक्षा C12-1(II) दिनांक 11 सितम्बर, 2019 द्वारा अधिनियम की धारा–11 (7) के अन्तर्गत अन्तरिम व्यवस्था के तहत उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर प्रो0 सुनील कुमार जोशी, विभागाध्यक्ष, शल्य विभाग, ऋषिकुल कैम्पस, हरिद्वार को छः माह की अवधि अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया गया था, जिनका कार्यकाल 11 मार्च, 2020 को पूर्ण हो गया है।

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के नियमित कुलपति के चयन की प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान है तथा इसमें अभी समय लगने की सम्भावना है।

उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, परिनियमावली, 2015 के परिनियम–7(4) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत डा0 अरूण कुमार त्रिपाठी, प्राचार्य, काय चिकित्सा, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय को कुलपति, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कर्तव्यों के निवर्हन करने हेतु तत्काल प्रभाव से अग्रेत्तर छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया जाता है।

ह0—
बेबी रानी मौर्य
कुलाधिपति।

संख्या : 4328 (1) जी0एस0 शिक्षा/C12-1(II) /2017 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–
1–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2–अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3–सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4–डा0 अरूण कुमार त्रिपाठी, प्राचार्य, काय चिकित्सा, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय।
5–प्रो0 सुनील कुमार जोशी, विभागाध्यक्ष, शल्य विभाग, ऋषिकुल कैम्पस, हरिद्वार।
6–कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
7–निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।
8–गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।